

न्यायालय तजुशीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सारजन्य जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ठारुका नगर पुरा मीला 510 अंकर जाट खेडली रेल
एकरुप अवगत प्राप्त तापलदार हुकट

प्रकरण संख्या - RA/66/2018

निर्णय दिनांक - 28/3/2019

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम खेडली रेल
की आ.ख.नं. 161 कुल रकमा 0-19 किया जात गोमु में से 0.01
रकमे पर की पुरा मीला 510 अंकर जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
पूजा लकडी काज्जा कर लिया है। इस मर पटवारी हल्का ठारुका द्वारा दिनांक
27/8/18 को उसके विरुद्ध यामुनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाई
भू.अ.निरी. दारीका के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी पुरा मीला 510 जाति जाट निवासी खेडली को भू-
राजसय अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शान्त बचावली किया गया। अतिक्रमी
उपस्थित नही आया। जबकि नोटिस पेश किया जो शान्त पत्रावली है।
उपल रकमा आ.ख.नं. 161 में से 0.49 में से 0.01
रकमे किये गोमु शमशान के नियमन में आते नही है किहाजा औरसायम का अतिक्रमण
रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाने पर उपल स्वरुप जमान 6 Paise का
50 गुणा 31 रकमे पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कारामी हेतु सीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी तसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी ठारुका भू.अ.निरी.
दारीका को लिखा जाकर बाद तामील दाखिल दफतर हां। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

अलवर
न्यायालय
कठुमार (अलवर) म
अलवर, अलवर (राज.)

अतिरिक्त - प. ह.